

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

२३-१२-२६

पत्राठ पेश हुई। वक्तु उपा। वादी  
वकील द्वारा दावा को नोटिस किये  
जाने वाक्त अंडरटेकिंग दी गई। दावा को  
आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः पत्रा  
नोटिस के आधार पर इसी स्तर पर  
स्वार्ज किया जाता है। पत्राठ केस न सुनार  
होकर दाखिल दफतर हो।